

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-30092020-222124
SG-DL-E-30092020-222124असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 196]	दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 28, 2020/आश्विन 6, 1942	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 142
No. 196]	DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 28, 2020/ASVINA 6, 1942	[N. C. T. D. No. 142

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIशहरी विकास विभाग
(स्थानीय निकाय निदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितंबर, 2020

सं.फा. 7/123/डीएलबी/2019/सीडी 000563856/14442-14456.—दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957(1957 का 66) की धारा 3 की उपधारा (3) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा सुश्री ज्योतना शर्मा, 27-ई, पाकेट -4, मयूर विहार, फेस-1, दिल्ली - 110091, के पूर्वी दिल्ली नगर निगम के प्रतिनिधित्व के लिए नामांकन को तत्काल प्रभाव से वापिस लेते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर
अशोक कुमार, उप निदेशक (स्थानीय निकाय)

DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT**(Directorate of Local Bodies)****NOTIFICATION**

Delhi, the 25th September, 2020

F.7(123)/DLB/2019/CD 000563856/14442-14456.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 3 of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 (66 of 1957), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby withdraw the nomination of Ms.Jyotsna Sharma, 27-E, Pocket-4, Mayur Vihar, Phase-I, Delhi-110091 from the representation of East Delhi Municipal Corporation with immediate effect.

By Order and in the name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

ASHOK KUMAR, Dy. Director (LB)